

प्रेषक,
जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,
रजिस्ट्रार जनरल,
प्रधान पीठ,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।


पत्रांक- 710 / एन0-61 / जनरल-2024

दिनांक- 08/10/2024

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 सं0-588/2024 आबिद बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक-09.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-588/2024 (आबिद बनाम स्टेट ऑफ यूपी) में पारित आदेश दिनांक-09.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण में अनुपालन की कार्यवाही की आख्या पत्र के साथ संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


08/10/24
(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धामपुर

पत्रांक 464 / उ0जि0अ0-धा0-एसटी-24

दिनांक- 28.09.2024

विषय : ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु विकास खण्ड नहतौर जनपद बिजनौर के तालाब के पानी से प्रदूषण सम्बन्धित एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में संयुक्त जाँच आँख्या के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी
बिजनौर।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.08.2024 को आपके कार्यालय के पत्र संख्या: 473/एन0-61/जनरल-2024 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा "माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन नं0-588/2024 Abid versus state of UP में पारित आदेश दिनांक -09.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके मुख्य अंश निम्नवत है:-

1. This original application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010(hereinafter referred to as "NGT Act. 2010") has been registered exercising suo-moto jurisdiction on a letter petition dated 07-10-2023 sent by Abid, resident of Village Nargadi, Gandhu, Pargana Hattori. Tehsil Dhampur, Zilla Bijnor UP alleging that there is a pond at Khasra Nos. 169 and 182 in the Village which is being polluted by discharge of untreated sewage causing serious health hazard to the local people.
2. In our view, complaint made in this application at the first instance can be looked into by local authorities and Statutory Regulator and if they find any violation would take appropriate preventive prohibitive, punitive and remedial action in the matter. प्रकरण के सम्बन्ध में गठित संयुक्त जाँच समिति द्वारा प्रातः काल में

ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु तालाब पर पहुँच कर जाँच की गयी। जाँच आँख्या निम्नवत है:- उपरोक्त तालाब तहसील धामपुर के ग्राम नरगदी गन्धु के खसरा संख्या 169 एवं 182 में तालाब के आसपास स्थित गाँव के घरों का घरेलू जल मल/सीवेज का पानी तालाब में न जाये इस हेतु ग्राम पंचायत नरगदी गन्धु द्वारा पृथक से नाली का निर्माण करा दिया गया है तथा उक्त नाली पूर्व से निर्मित मुख्य नाले से जोड़ दी गयी है। जिससे मौके पर अब नाली के माध्यम से पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही है। ग्राम नरगदी गन्धु के घरों का घरेलू जल मल/सीवेज का पानी प्रश्नगत तालाब में नहीं जा रहा है।

उपरोक्तानुसार आँख्या आपके अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

जिला पंचायत प्रमुख अधिकारी
बिजनौर

खण्ड विकास अधिकारी
नहतौर।

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
धामपुर

19/09/24